73/21

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अमरीक सिंह आदि बनाम राजविन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 14 सन् 2021 2021/189

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2021	प्रार्थीगण अमरीक सिंह पुत्र धन सिंह जटसिख निवासी चक 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 40 के मुरब्बा नम्बर 14, 25, 32, 33, 41, 42, 43, 45, 62/6, 62/10 के सम्बन्ध मे यदि अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थीगण को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । (हस्ताक्षर)	
28/12/21	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)